



प्रेस नोट-थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर



सरहानीय कार्य दिनांक- 13.07.2025

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 मु0अ0सं0-313/2025 धारा 147/419/376(D) /323/312/506 भादवि तथा 67(A) आई.टी. एक्ट तथा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित एवं वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस की टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 12.07.25 को वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-313/2025 धारा 147/419/376(D)/323/312/506 भादवि तथा 67(A) आई.टी. एक्ट तथा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बाबत अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ लगभग दो वर्ष पहले अपना धर्म छिपाकर शिव वर्मा के नाम से फेसबुक व इन्स्टाग्राम की फर्जी आई.डी. बनाकर मैसेज करना, अपनी धर्म की पहचान छिपाकर हिन्दू होकर बातचीत करने व उसके पश्चात झूठ बोलकर शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने, हिडन कैमरा से वीडियो बना लेने, ब्लैकमेल करने तथा गर्भवती होने पर अभियुक्त तथा अभियुक्त के भाई, पिता व बहन ने गर्भ गिराने का दबाव बनाने तथा सभी ने मारपीट करने तथा अभियुक्त द्वारा वादिनी के पेट पर लात मारकर तीन महीने का गर्भ गिरा देने तथा धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में आज दिनांक 13.07.25 को अभियुक्त मो0 नावेद उर्फ कासिफ पठान पुत्र आलम खां नि0 मो0 तारीन बहादुरगंज, थाना सदर बाजार हाल निवासी मो0 सिंजई थाना कोतवाली शाहजहाँपुर को मुकदमा पंजीकृत होने के लगभग 6 घंटे के भीतर समय करीब 05.35 बजे हनुमत धाम के पास गर्गा नदी पर बने नये पुल से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

मो0 नावेद उर्फ कासिफ पठान पुत्र आलम खां उम्र करीब 30 वर्ष नि0 मो0 तारीन बहादुरगंज, थाना सदर बाजार हाल मो0 सिंजई, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 313/2025 147/419/376(D)/323/312/506 भादवि तथा 67(A) आई.टी. एक्ट तथा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 13.07.25 को समय करीब 05.35 बजे हनुमत धाम के पास गर्रा नदी पर बने नये पुल से

अभियुक्त नावेद उर्फ कासिफ पठान का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-638/22 धारा 3(2)(v)(a)SC/ST ACT व 354/354(घ)/506 भादवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 313/2025 147/419/376(D)/323/312/506 भादवि तथा 67(A) आई.टी. एक्ट तथा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार सिंह
2. निरीक्षक अपराध श्री पवन शर्मा
3. उ0नि0 श्री मनोज कुमार सरोज
4. का0 2127 दीपक कुमार